भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
(दीपम)

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या *345**
जिसका उत्तर सोमवार 28 मार्च, 2022
7 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है

**राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम की स्थापना**

***345. श्री सुब्रत पाठक:**
**श्री सुधीर गुप्ता:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) की स्थापना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एनएलएमसी की स्थापना के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं तथा इसके संघटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पास भूमि तथा भवनों के रूप में अत्यधिक मात्रा में अतिरिक्त एवं अल्प-प्रयुक्त गैर-आधारभूत आस्तियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एनएलएमसी के माध्यम से इन अप्रयुक्त और अल्प-प्रयुक्त आस्तियों का मौद्रीकरण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके माध्यम से कुल कितना राजस्व सृजित होने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र के पेशेवरों की सेवाएं लिए जाने का है और यदि हां, तो ऐसे पेशेवरों के चयन संबंधी मानदंड क्या हैं?

**उत्तर**
**वित्त मंत्री**
**(श्रीमती निर्मला सीतारामन)**

**(क) से (ड.) :** एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है।

*****

**"राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम की स्थापना"** के संबंध में दिनांक 28.03.2022 सोमवार को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *345 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य

**(क):** केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 09 मार्च, 2022 को भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया था जिसकी आरंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपये और प्रदत्त शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये है। एनएलएमसी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य सरकारी एजेंसियों की सरप्लस भूमि और भवन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगी। यह प्रस्ताव वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसरण में है।

**(ख) :** एनएलएमसी के उद्देश्य और लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :

i. इसको संदर्भित भूमि तथा अन्य गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का पेशेवर और व्यवस्थित तरीके से मुद्रीकरण करना।
ii. रणनीतिक विनिवेश के अधीन भारत सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाले सीपीएसईस की सरप्लस भूमि और भवनों तथा के बंदीकरण के अधीन सीपीएसईस की भूमि और भवन परिसंपत्तियों को स्वामित्व में लेना, धारित करना, प्रबंधित करना और उन्हें मुद्रीकृत करना।
iii. निम्न की सरप्लस भूमि परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की सलाह देना और उनकी सहायता करना।
    i. सरप्लस भूमि धारित करने वाली अविलियत कंपनियां
    ii. अन्य सीपीएसईस
iv. अधिशेष और कम प्रयोग की गई गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के बारे में सरकारी विभागों, सांविधिक निकायों, प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, निगमों आदि को परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए।
v. सीपीएसई/ अन्य सरकारी एजेन्सियों के परामर्श से मुद्रीकरण के लिए सूची तैयार करने के लिए सरप्लस भूमि और भवन परिसंपत्तियों की पहचान करना।
vi. कौशल तथा सक्षमताओं के साथ एक सक्षम संगठन का निर्माण करना ताकि तीव्र गति से और दक्ष तरीके से मुद्रीकरण हो सके जिससे सरकारी परिसंपत्तियों से अधिकतम मूल्य सृजित हो सके।
vii. भूमि मुद्रीकरण की सर्वोत्तम परिपाटियों के कोष के रूप में कार्य करने और परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में डीपीई/दीपम/भारत सरकार को विशेषज्ञ तकनीकी सलाह देना और सहायता करना।

एनएलएमसी एक निदेशक मंडल द्वारा प्रशासित होगा। प्रस्तावित बोर्ड संरचना में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और स्थावर संपदा, बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, निर्माण, विधिक और संबंधित क्षेत्रों के प्रख्यात पेशेवरों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इस बोर्ड में एनएलएमसी के

कार्यकलापों को एक पेशेवर तरीके से संचालित करने के लिए आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता का समावेश होने की प्रत्याशा है। एक प्रख्यात पेशेवर को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया जाएगा।

एनएलएमसी के बोर्ड में 13 निदेशक होंगे जिनमें से 07 सरकारी अधिकारी होंगे और 06 गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र से होंगे। 06 सरकारी निदेशक आर्थिक कार्य विभाग, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, दीपम, डीपीई, डीपीआईआईटी, भारी उद्योग विभाग के अपर/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। एनएलएमसी का अध्यक्ष एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होगा। सीईओ एनएलएमसी के दैनिक संचालनों के लिए उत्तरदायी होगा। सीईओ भारत सरकार का अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा।

**(ग) और (घ) :** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की परिसंपत्तियों में, महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां जो कि सीपीएसई के संचालन में प्रयोग की जाती हैं साथ ही गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां जो सरप्लस, अप्रयुक्त या कम उपयोग में आ रही भूमि और भवन हैं तथा जिनके लिए निकट भविष्य में इनके ईष्टतम उपयोग के लिए कोई स्पष्ट और मौजूदा योजना न हो, शामिल हैं। अब तक, नौ सपीएसई ने मुद्रीकरण हेतु 3479 एकड़ (लगभग) सरप्लस भूमि और भवन परिसंपत्तियों की पहचान की है।

एनएलएमसी पेशेवर एजेंसी के रूप में स्थापित होने पर, सीपीएसई द्वारा पहचान की गई गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के लिए उचित उद्यमिता, संरचनीकरण और मूल्यांकन करेगी। परिसंपत्ति मुद्रीकरण एक पारदर्शी, बाज़ार प्रभावी प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

**(ड.) :** मुद्रीकरण के लिए व्यापक स्तर का विलक्षण कौशल एवं विशेषज्ञता अपेक्षित होती है जैसे कि उचित उद्यमिता, मूल्यांकन निवेश बैंकिंग, भूमि प्रबंधन आदि जो कि सरकारी क्षेत्र में पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं है। एनएलएमसी एक छोटा संगठन होगा और यह निजी क्षेत्र से पेशेवर नियुक्त करेगा। निजी क्षेत्र से अनुभवी पेशेवरों को आकर्षित करने और बनाये रखने के लिए एनएलमएसी बोर्ड के पास पेशेवरों के चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए लचीलापन होगा।

*****